न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 36/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

बिरदा पुत्र बोदू जाति बलाई नि0 ग्राम जावली तहसील फुलेरा जिला जयपुर

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 14.05.2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री रामावतार शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम जावली, पटवार हल्का छापरी, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 189/9 रकबा 2.0232 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 राजस्व रिकॉर्ड में बिरदा पुत्र बोदू जाति बलाई ग्राम जावली तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का छापरी, तहसील फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार बिरदा का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थीयों ने आवंटन नियमो का पालन किया है। अतः आवंटन नियमो की शर्तों का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावे। अन्त में अनुतोष चाहा गया है कि गैर खातेदार द्वारा शर्तें भंग करने के कारण मद संख्या 1 में वर्णित गैर खातेदारी भूमि आवंटन निरस्त कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को तलबी नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामावतार शर्मा उपस्थित हुए। अधिवक्ता अप्रार्थी ने न्यायालय में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अप्रार्थी बिरदा पुत्र बोदू के साविक खसरा नम्बर 189/1/6 हाल खसरा नम्बर 189/9 रकबा 8 बीघा का 31–03–1994 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित किया गया। आवंटन होने के पश्चात नामांतकरण सं0 281 के द्वारा अप्रार्थी बिरदा के नाम गैर खातेदारी का नामांतरकरण दिनाक 19–06–1994 को स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात अप्रार्थी का खसरा गिरदावरी संवत 2049 से 2052 अर्थात वर्ष 1995 की खसरा गिरदावरी में तत्पश्चात खसरा गिरदावरी संवत 2053 से 2056 में अर्थात वर्ष 1996 से 1999 में उपरोक्त भूमि में अप्रार्थी बिरदा पुत्र बोदू के नाम से चने की काश्त की फसल बो रखी है। इसी प्रकार संवत 2057 से 2060 में भी अप्रार्थी के द्वारा फसल बो रखी है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी संवत 2061 से 2064 में बाजरा व ग्वार की फसल उक्त भूमि में बो रखी है। इसी प्रकार संवत 2066 व 2067 में भी अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि में बाजरा की फसल बोई गयी थी। इसी प्रकार संवत 2069 में 4 बीघा

भूमि में बाजरा व 4 बीघा भूमि म ग्वार की फसल बोई गई थी। इस प्रकार संवत 2053 से लेकर वर्तमान तक उक्त भूमि में अप्रार्थी बिरदा पुत्र बोदू निरंतर काबिज काश्त है तथा अपने हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।

अतिरिक्त कथन में अंकित किया है कि अप्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अप्रार्थी व उसके परिवार का उक्त आवंटनशुदा भूमि के अलावा भरण पोषण का कोई साधन नहीं है। उक्त आवंटनशुदा भूमि से अप्रार्थी व उसका परिवार भरण पोषण करता आ रहा है। आवंटन के पश्चात अप्रार्थी द्वारा निरंतर उक्त भूमि मे फसल बोता आ रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है तथा माननीय अपेक्स न्यायालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि 29 वर्ष पश्चात किसी भी आवंटी के खातेदारी राईटस को निरस्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार तहसीलदार ने उक्त प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रस्तुत किया है। कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि किसी भी गैर खातेदार को 10 वर्ष पश्चात खातेदारी राइटस प्रदान किये जाने चाहिये। जिसके सम्बन्ध ने राज्य सरकार द्वारा भी समय–समय पर अध्यादेश पारित किये गये है तथा अपेक्स न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णयो मे किसी गैर खातेदार को 10 वर्ष पश्चात स्वतः खातेदार अधिकार तहसीलदार द्वारा प्रदान किये जाने चाहिये। अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमो की शर्तों का भलीभांति पालन करता आ रहा है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जाकर तहसीलदार फुलेरा को आदेशित किया जावे कि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी अंकन की जावे ताकि अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान प्राप्त हो सके।

अप्रार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में खसरा गिरदावरी संवत 2049 से 2068 एवं 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम जावली, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 189/9 रकबा 2.0232 हैक्टेयर किस्म वारानी 3 राजस्व रिकॉर्ड में बिरदा पुत्र बोदू के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का छापरी, तहसील फुलेरा की रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार बिरदा का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थीयों ने आवंटन नियमो का पालन किया है। अतः कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि को सिवायचक घोषित करने के आदेश फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 189/9 (साबिक ख.नं. 189/1/6) वाके ग्राम जावली प.ह. छापरी तहसील फुलेरा आवंटन के तहत अप्रार्थी बिरदा पुत्र बोदू के नाम दर्ज की गई। आवंटन दिनांक 31.03.1994 को तथा आवंटन नामान्तकरण दिनांक 28.06.1994 को दर्ज किया गया। आवंटन के पश्चात से अप्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। नियमानुसार यदि भूमि पर 3 वर्ष से अधिक खातेदारी अधिकार प्रदान करने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। कब्जे काश्त के बाबत प्रार्थी द्वारा पत्रावली में खसरा गिरदावरी संवत 2053 से 2056, 2061 से 2064 तथा 2069 से 2072 की प्रति पेश की है। उक्त भूमि अल्प होने के कारण तथा बंजड एवं

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

अनुपजाऊ होने के कारण पडत है। लागत अधिक एवं उत्पादन कम होने से आवंटित भूमि पर कम कृषि की गई तथा कभी-कभी पडत भी छोडी गई। अप्रार्थी भूमि काश्त कर रहा है तथ खसरा गिरदावरी में फसल एक ही बार में सम्पूर्ण भूमि काश्त करना आवश्यक नहीं है। माननीय अपेक्स न्यायालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि 29 वर्ष पश्चात किसी भी आवंटी के खातेदारी राईटस को निरस्त नहीं किया जा सकता। आवंटन के इतने वर्ष विलम्ब के बाद प्रार्थना पत्र 14(4) पेश करने का कोई युक्तियुक्त कारण पेश नहीं किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण तथा आवंटन नियमो की पालना करने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में RRT 2011(2) पृष्ठ सं0 1144, RRT 2016(2) पृष्ठ सं0 769, RRT 2016(1) पृष्ठ सं0 718, RRT 2018(2) पृष्ठ सं0 1007 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पैरोकार सरकार एवं विद्वान अधिवक्तागण अप्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थी बिरदा पुत्र बोदू कौम बलाई सा0 देह को आवंटित भूमि दिनांक 15.04.94 का गैर खातेदारी नामान्तकरण दिनांक 28.06.94 को तहसीलदार फुलेरा द्वारा स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात अप्रार्थी का उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आगामी 10 वर्षों में सम्वत 2053 में 2 बीघा पर चना, सम्वत 2057 में 8 बीघा में ग्वार, सम्वत 2061 में 8 बीघा में बाजरा, पापडा, ग्वार काश्त किया जाना खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नकल के आधार पर प्रमाणित होता है। भूमि आवंटन नियम 14(3) में स्पष्ट रुप से आवंटन शर्तों का उल्लेख किया गया है कि आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि में कम से कम 50 प्रतिशत हिस्से को जोतना पडेगा और शेष को दूसरे वर्ष में। लेकिन तहसीलदार इस अवधि को 1 वर्ष तक बढा सकता है। परन्तु उपरोक्त खसरा गिरदावरी की नकलों से स्पष्ट है कि उक्त शर्तों की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी का कथन कि उसके द्वारा लगातार काश्त की गई है, सत्य नहीं पाया गया है। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाता है तथा आवंटन भूमि साबिक खसरा नम्बर 189/1/6 हाल खसरा नम्बर 189/9 रकबा 8 बीघा भूमि को सिवायचक घोषित कर राजकीय खाते में दर्ज किये जाने हेतु नियमानुसार रेफरेंस तैयार कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे प्रेषित करने हेतु पत्रावली तहसीलदार फुलेरा को भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 14.05.2025 को सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR